16380
29.10.2020

संख्या-2352/33-3-2020

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1-समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

2-समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 21 अक्टूबर, 2020

विषय- प्रदेश में महिला सुरक्षा व सम्मान सम्बन्धी कार्यक्रमों के सम्बन्ध में।

महोदय,

पंचायत राज अधिनियम 1947 में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण तथा पंचायत चुनाव में निर्धारित प्रतिशत से अधिक महिला प्रतिनिधियों की जीत से जो पंचायतों का स्वरूप बदला है, उसकी पृष्ठभूमि में महिलाओं के सशक्तिकरण में पंचायतों की अहम भूमिका है।

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सुरक्षा की मुख्य चुनौतियां:

- भूमि और संपत्ति संबंधी
- महिलाओं के विरुद्ध घरेलू एवं सामाजिक अपराध
- यौन उत्पीड़न
- दहेज
- बाल विवाह
- कन्या भ्रूण हत्या और लिंग के अनुसार गर्भपात
- शिक्षा के समान अवसर
- मानव तस्करी
- इन्टरनेट से नियोजित अपराध/हिंसा
- ग्राम पंचायतों/सभाओं के क्रिया-कलाप में समान अधिकार

(ख) महिला सुरक्षा एवं सहभागिता के दृष्टिगत आगामी नवरात्र तक ग्राम पंचायतों द्वारा किये जाने वाले कार्य-

(1) ग्राम पंचायतों की बैठक आमंत्रित की जायेगी जिसमें महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण पर चर्चा की जायेगी।
(2) प्रत्येक ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय के रख-रखाव के लिए शासनादेश सं0-758/33-3-2020-31/2019 दिनांक 15 जुलाई, 2020 के प्राविधानों के अनुसार महिला का चयन।
(3) प्रत्येक पंचायत से 2 निर्धनतम महिला मुखिया वाले परिवार का चयन व इन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए आवश्यकताओं का आकलन।
(4) ग्रामों में सफाई अभियान ग्राम के महिला प्रधान व महिला समूहों की अगवाई में।

1406
DD (P.)
नि0 28/10
28/10/2020

RGSA

(प्रवीणा चौधरी)
उप निदेशक (पं0)
पंचायती राज उ0प्र0।
29-10-2020

Amit Sri.

ग्राम सभा स्तर पर

- स्वयं सहायता समूहों को ग्राम सभा की बैठक में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने को प्रेरित एवं उत्साहित करना है।
- ग्राम सभा में कुछ मूलभूत मुद्दे उठाकर, जैसे, गरीबी रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों का क्रमवार चयन, सड़क निर्माण योजना में स्थान का निर्धारण रोजगार योजना से जोड़कर स्थानीय स्तर पर निर्माण कार्य की परियोजना आदि में महिलाओं को प्राथमिकता दिलवाना।
- ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता सम्बन्धी पहल आदि पर चर्चा चल सकती है और निर्णायक भूमिका अदा करना।
- महिलाओं से सम्बन्धित अधिक से अधिक मामलों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करवाने में मदद करना।

कृपया उक्त प्रस्तावित गतिविधियों को कार्ययोजना के अनुसार सम्पन्न विविध कार्यक्रमों एवं गतिविधियाँ आदि के फोटोग्राफ्स ई–मेल आई.डी.pshomelko@gmail.com तथा 1090police@gmail.com पर हार्ड एवं सापट कापी में उपलब्ध करायी जाय।

इन गतिविधियों के सुसंचालन एवं शासन को यथा निर्देश सूचना उपलब्ध कराने हेतु श्रीमती प्रवीणा चौधरी, उपनिदेशक (पं0) ई–मेल आई.डी. ddhqpr.lu-up@nic.in पंचायती राज निदेशालय को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है।

4– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महिला सुरक्षा सप्ताह के दृष्टिगत उक्त कार्यक्रमों/दिशा–निर्देशों का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक:– तदैव।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

(1) निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, गृह गोपन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) निदेशक, पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस आशय से प्रेषित की महिला सुरक्षा सप्ताह के दृष्टिगत आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
(5) श्रीमती प्रवीणा चौधरी, उपनिदेशक (पं0) पंचायती राज निदेशालय को इस आशय से प्रेषित कि उक्त कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के सम्बन्ध में सूचना ई–मेल आई डी. pshomelko@gmail.com तथा 1090police@gmail.com पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
(6) समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(7) समस्त उपनिदेशक (पंचायत), उत्तर प्रदेश।
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

Amit Sri.

ग्राम सभा स्तर पर

- स्वयं सहायता समूहों को ग्राम सभा की बैठक में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने को प्रेरित एवं उत्साहित करना है।
- ग्राम सभा में कुछ मूलभूत मुद्दे उठाकर, जैसे, गरीबी रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों का क्रमवार चयन, सड़क निर्माण योजना में स्थान का निर्धारण रोजगार योजना से जोड़कर स्थानीय स्तर पर निर्माण कार्य की परियोजना आदि में महिलाओं को प्राथमिकता दिलवाना।
- ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता सम्बन्धी पहल आदि पर चर्चा चल सकती है और निर्णायक भूमिका अदा करना।
- महिलाओं से सम्बन्धित अधिक से अधिक मामलों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करवाने में मदद करना।

कृपया उक्त प्रस्तावित गतिविधियों की कार्ययोजना के अनुसार सम्पन्न विविध कार्यक्रमों एवं गतिविधियों आदि के फोटोग्राफ्स ई-मेल आई.डी.pshomelko@gmail.com तथा 1090police@gmail.com पर हार्ड एवं साफ्ट कापी में उपलब्ध करायी जाय।

इन गतिविधियों के सुसंचालन एवं शासन को यथा निर्देश सूचना उपलब्ध कराने हेतु श्रीमती प्रवीणा चौधरी, उपनिदेशक (पं0) ई-मेल आई.डी. ddhqpr.lu-up@nic.in पंचायती राज निदेशालय को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महिला सुरक्षा सप्ताह के दृष्टिगत उक्त कार्यक्रमों/दिशा-निर्देशों का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक:- तदैव।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, गृह गोपन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) निदेशक, पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस आशय से प्रेषित की महिला सुरक्षा सप्ताह के दृष्टिगत आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
(5) श्रीमती प्रवीणा चौधरी, उपनिदेशक (पं0) पंचायती राज निदेशालय को इस आशय से प्रेषित कि उक्त कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के सम्बन्ध में सूचना ई-मेल आई. डी. pshomelko@gmail.com तथा 1090police@gmail.com पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
(6) समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(7) समस्त उपनिदेशक (पंचायत), उत्तर प्रदेश।
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
28.10.20
(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

Amit Srl.